संख्या-2/2016/115/पांच-9-2016-9(12)/16

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी, 2016**

विषयः-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य सोसायटी (DHS) की बैठकों की प्रक्रिया के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जिला स्वास्थ्य सोसायटी के गठन और इसके संशोधन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-2749/पांच-9-06-9(168)/06 दिनांक 16 नवम्बर 2006 एवं 80/पांच-9-14-9(56)/13, दिनांक 15 जनवरी, 2014 के क्रम में प्रक्रिया के सुदृढीकरण के उद्देश्य से यह शासनादेश जारी किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने, उच्च गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2017 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम में निहित विभिन्न गतिविधियों की नियमित समीक्षा हेतु वर्तमान में एक प्रणाली विद्यमान है, जिसे सुदृढ किया जा रहा है, जिससे मुख्य स्वास्थ्य संकेतकों यथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर आदि के लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके।

इस शासनादेश के मुख्य उदेद्श्य निम्नवत हैं :-

(अ) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु मानक प्रणाली निर्धारित किया जाना (बैठकों हेतु सैम्पल एजेण्डा संलग्नक-1)

(ब) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन/क्रियान्वयन हेतु एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/ सपोर्टिव सुपरविजन/ समुदाय एवं केन्द्र आधारित सर्वे के आंकडों का नियमित प्रयोग किया जाना।

(स) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन, (www.uphealth.up.in एवं www.upnrhm.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

gov.in) डैशबोर्ड (www.swasthsamaj.com) आदि पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग किया जाना।

(1) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी) के मुख्य कार्य :-

- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की मासिक बैठकों का आयोजन।
- जिला कार्य योजना को स्वीकृत करना एवं यह सुनिश्चित करना कि यह रोबस्ट गैप विश्लेषण पर आधारित है।
- राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों की समुचित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना।
- हेल्थ मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (HMIS) बुलेटिन, डैशबोर्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की रैंकिंग के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में जिले की परफार्मेन्स की निगरानी करना, कमियों की पहचान करना एवं उनमें सुधार सुनिश्चित करना।
- आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की पूर्व की बैठकों में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का फॉलो-अप करना।
- राज्य स्तर से निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा।

(2) **जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-**

- शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) की बैठक से पहले कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) की बैठक का होना आवश्यक है।
- कार्यकारी समिति की बैठक में चिन्हित मुख्य मुद्दों को निर्णयार्थ शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- कार्यकारी एवं शासी निकाय की बैठकों को निम्न प्रकार से संचालित किया जाए :-

क0 सं0	समीक्षा का क्षेत्र	आवृत्ति	चिन्हित कमियों का विश्लेषण	डेटा स्रोत एवं समीक्षा के टूल्स	स्तर
1	जिला कार्ययोजना (DHAP) में निर्धारित	मासिक	मानव संसाधन, भौतिक संरचना, उपकरण,औषधि एवं आपूर्ति की समीक्षा, विशेषकर-प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा औषधियों की उपलब्धता (5*5 मैट्रिक्स के अनुसार) एवं ओ0पी0डी0	संलग्नक-2 (ए से डी तक)	कार्यकारी समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा		आई0पी0डी0, लैब जांच इत्यादि का समुचित प्रबंधन।		
2	आंकडो की गुणवत्ता की समीक्षा	मासिक	**1)** समय से डेटा अपलोड सुनिश्चित किया जाना। **2)** जिला स्तरीय वैधता समिति (डेटा वैलिडेशन कमेटी) की बैठक एवं उसके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण की स्थिति की समीक्षा। **3)** एच0एम0आई0एस0 सपोर्टिव सुपरविजन एवं डेटा ऑडिट के परिणामों का विश्लेषण । **4)** ए0एन0एम0 के पास आशावार आर0सी0एच0 रजिस्टरों की उपलब्धता की समीक्षा । **5)** जिला वैलिडेशन कमेटी द्वारा मासिक रूप से अपलोड किये जाने वाले एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं ब्लॉकों द्वारा तैयार किये गये डेटा का आडिट किया जाए तथा डेटा में पाई जाने वाली त्रुटि, हेरफेर एवं लापरवाही के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।	एच0एम0आई0एस0/ एम0सी0टी0एस0 डेटा/सपोर्टिव सुपरविजन की समीक्षा हेतु गुणवत्ता विश्लेषण का प्रारूप (संलग्नक-3)	कार्यकारी समिति
3	RMNCH+A की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सपोर्टिव सुपरविजन विजिट	मासिक	**1)** दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित भ्रमण सत्रों का नियोजन। **2)** जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियोजित भ्रमण सत्रो की समीक्षा। **3)** आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति में कमी की समीक्षा। **4)** सभी प्रसव इकाइयों (एल-1,एल-2एवं एल-3) पर आवश्यक RMNCH+Aऔषधियों,	RMNCH+A सहयोगी पर्यवेक्षण भ्रमण के परिणाम	कार्यकारी समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			कन्ज्यूमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता को ट्रैक करना।		
4	स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा	मासिक	विभिन्न मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यथा जे0एस0 एस0के0, जननी सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यथा एन0आर0सी0, एन0बी0एस0यू0,एन0बी0 सी0 सी0,एसएनसीयू,आर0बी0एस0के0,आर0के0एस0के0, परिवार नियोजन, टीकाकरण एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा।	एच0एम0आई0एस0, वेब पोर्टल एवं अन्य निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक-4 सांकेतिक रिपोर्टिंग प्रारूप)	कार्यकारी समिति
5	कम्युनिटी प्रोसेस एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस	मासिक	1) ब्लॉकों में आशा की नियुक्ति की स्थिति । 2) क्लस्टर बैठक में आशा की प्रतिभागिता। 3) आशा के पास VHIR की उपलब्धता की स्थिति । 4) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्रों का नियोजन एवं आयोजन। 5) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता।	सांकेतिक रिपोर्टिंग प्रारूप) (संलग्नक-5)	कार्यकारी समिति
6	आच्छादन एवं सेवा उपभोग की समीक्षा	मासिक	1) ब्लॉकवार तय किये गये लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धियॉ एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा। 2) एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन के आधार पर सभी RMNCH+A संकेतकों की समीक्षा। 3) अन्य एच0एम0आई0एस0 आंकडे जैसे ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, लैब जांच, शल्य क्रिया और संक्रामक एवं असंक्रामक रोगो की भी समीक्षा की	एच0एम0आई0एस0 डेटा,एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन एवं अन्य सर्वे रिपोर्ट एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन	कार्यकारी समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			जाय। 4) सेवाओं की गुणवत्ता के आंकलन के लिए केन्द्र आधारित डेटा (सर्वे या आरम्भिक आंकलन) का प्रयोग किया जाय।	सर्वे डेटा	
यदि कार्यकारी समिति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चिन्हित किये जाते है तो उन्हें शासी निकाय की बैठक में निर्णयार्थ ले जाया जाए।					शासी निकाय
7	वित्तीय परफॉर्मेंस की समीक्षा	मासिक	1) मासिक वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा तथा पिछले वर्ष उसी माह तक से तुलना एवं सुधारात्मक कार्यवाही। 2) कांकरेंट ऑडिट,बी0आर0एस0, आर0के0एस0 ऑडिट रिपोर्ट एवं पी0एम0एफ0एस0 एडवाइजरी की समीक्षा करना। 3) जिला आडिट कमेटी की मासिक बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित कराया जाना।	वित्तीय मासिक रिपोर्ट (एफ0एम0आर0) (संलग्नक-6)	कार्यकारी समिति एवं शासी निकाय
8	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कार्य योजना	वार्षिक	1) चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईवार प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, औषधि, उपकरण, कन्ज्यूमेबिल्स इत्यादि की गैप एनालिसिस करना। 2) जनसंख्या, इकाइयों पर उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का चिन्हीकरण किया जाना। 3) स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं एवं स्वास्थ्य इकाईयों की संख्या सुनिश्चित किया जाना।	भारत सरकार के मानकानुसार इकाईयों पर चिन्हित गैप्स/ एच0एम0आई0एस0 डेटा।	शासी निकाय
9	ब्लॉक स्तर पर फण्ड का आनुपातिक निर्धारण	एक बार की स्वीकृति	ब्लॉक स्तरीय परफॉर्मेन्स/राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर।	स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर	शासी निकाय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के सचिवालय के रूप में कार्य कर रही है, का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से जारी एन0एच0एम0 डैप गाइडलाइन बुकलेट पर जनपद स्तरीय शासी निकाय से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त किया जाय। इस प्रकार एफ0एम0आर0 कोडवार विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य स्तर से स्वीकृत धनराशि पर अध्यक्ष शासी निकाय स्तर से पत्रावली पर पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कतिपय गतिविधियों के लिये धनराशि की स्वीकृति डैप बुकलेट के अतिरिक्त दी जाती है, उन पर शासी निकाय का अनुमोदन लिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0 /नियोजन/17/2015-16/7550-2, दिनांक 23.10.2015 द्वारा भी पूर्व में निर्देश प्रेषित किये गये हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एन0एच0एम0 की गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन/अवमक्ति सम्बन्धी पत्रावली जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जनपदीय लेखा प्रबन्धक के माध्यम से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अधिकारी को अग्रसारित की जाय। प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित प्रोग्राम/चिकित्सा इकाई के खाते में धनराशि तत्काल स्थानान्तरित कर दी जाय, जिससे उस धनराशि का समुचित व्यय हो सके।

डी0एच0एस0 की प्रभावी बैठक के लिये निम्न तैयारियॉ सुनिश्चित की जाएः-

- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक निश्चित रूप से आयोजित की जाए, जिससे ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
- पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर अनुपालन आख्या तैयार की जाए।
- पी0आई0पी0 की तैयारी के दौरान राज्य स्तर से साझा की गयी मानक चेकलिस्ट का प्रयोग इकाइयों पर गैप्स के विश्लेषण हेतु किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से मानव संसाधन प्रशिक्षण, औषधि, उपकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इत्यादि से सम्बन्धित बिन्दु सम्मिलित हों।
- जिला कार्ययोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लिया जाए (एच0आर0 की नियुक्ति, प्रसव इकाई की क्रियाशीलता की स्थिति, औषधि/उपकरण की आपूर्ति इत्यादि)।
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सेवाओं का उपयोग एवं दी गयी सेवाओं की गुणवत्ता, आच्छादन आदि संकेतकों का विश्लेषण किया जाए। इसके लिये RMNCH+A सपोर्टिव सुपरविजन विजिट एवं डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित पी0आई0पी0 में आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भौतिक प्रगति की मासिक समीक्षा:-

- अन्तिम माह में कार्यक्रम की समीक्षा एवं कमियों की पहचान करने हेतु एच0एम0आई0एस0 डेटा, एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन और डैशबोर्ड की समीक्षा की जाए।
- पिछले माह तक किये गये सहयोगी पर्यवेक्षण से प्राप्त डेटा की समीक्षा की जाए और बैठक से पूर्व सुधारात्मक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाए।
- वैलिडेशन कमेटी की बैठक में चिन्हित की गई एच0एम0आई0एस0 डेटा गुणवत्ता विश्लेषण यथा वैलिडेशन त्रुटि, कंसिस्टेंसी त्रुटि, कमेटी की बैठकों के सत्यापन की स्थिति, एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट तथा डेटा ऑडिट आदि की संक्षिप्त सूचना पहले से ही तैयार कर ली जाय।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ बैठकर सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट, एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं डैशबोर्ड की सूचना के आधार पर कम उपलब्धि वाले ब्लॉकों की सूची तथा इनकी चुनौतियों की सूची तैयार कर सुधार हेतु इनकी ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार की जाए।(संलग्नक-7)

वित्तीय प्रगति की समीक्षा:-

- पिछले माह तक की वित्तीय मासिक रिपोर्ट (FMR) या बजट उपभोग का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होना चाहिए। मदवार इनकी समीक्षा की जाए।
- प्राप्त बजट एवं बजट आवंटन सारांश उपलब्ध होना चाहिए, जिस पर समीक्षा की जाए।
- एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 डेटा के आधार पर मुख्य संकेतकों की भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की जाए।
- विभिन्न सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाए।
- गतिविधिवार राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त धनराशि एवं जनपद स्तर से विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को अवमुक्त धनराशि की समीक्षा।
- जिला ऑडिट कमेटी की बैठक का आयोजन प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर की जाय तथा उसमें कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाय। साथ ही आर0के0एस0 के ऑडिट की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाय।

(3) बैठक का आयोजन, कार्यवृत्त जारी कराना एवं निर्णयानुसार कार्यवाही करना:-

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक के आयोजन का उत्तरदायित्व मख्य चिकित्साधिकारी (संयोजक) का है, जिसे वे प्रत्येक माह सैम्पल के रूप में दिये गये एजेण्डा एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित करायेंगे। बैठक के आयोजन के 3 दिन में हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की pdf file एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के ई-मेल menrhm@gmail.com पर भेजी जाय। इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक स्तर से पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0/एम एण्ड ई/2015-16/12/8480, दिनांक 17.12.2015 के माध्यम से पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।